कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री दिलीप कुमार कोली (DILIP KUMAR KOLI), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागल पहाडी (NAGAL PAHARI), जिला करौली को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिन्चा सबला (RINCHHA SABLA), जिला डूंगरपुर एवं श्री बृजलाल बैरवा (BRIJLAL BAIRWA), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, समरोल (SAMROL) जिला झालावाड को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागल पहाडी (NAGAL PAHARI), जिला करौली में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री दिलीप कुमार कोली द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सख्या 3246/2019 दिलीप कुमार कोली बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3246/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 07.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार कोली के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्री दिलीप कुमार कोली के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री दिलीप कुमार कोली माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागल पहाडी (NAGAL PAHARI), जिला करौली में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, श्री बृजलाल बैरवा (BRIJLAL BAIRWA), प्रधानाचार्य, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, करौली में आगामी आदेश तक दी जानी सुनिश्चित करें।

17/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील अधिकरण/दिलीप कोली/3246/2019 दिनांकः 17.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/उदयपुर/कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली/डूगरपुर/झालावाड।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, करौली/डूगरपुर/झालावाड।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner